रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1972/कार्तिक 6, 1894

No. 241] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1972/KARTIKA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th October 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year* 1972-73 (*Amendment No.* 27).

No. 154-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Vol. II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1972-March 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72 dated 3rd April, 1972 as amended from time to time.

2. In terms of para 45(i)(a) of Part B of Section I of the aforesaid Policy Book, there is a provision to allow import of jigs, tools, testing instruments and equipment for packing and tagging for an amount not exceeding 20 per cent of the value of licences or Rs. 1 lakh whichever is less on the recommendation of the sponsoring authorities. It has been observed that some licences have been issued for import of staples and stappling machines in terms of this provision on the recommendation of the sponsoring authorities. As these items are produced in the country, it has been decided that the import of staples and stappling machines will not be allowed on the REP licences in terms of the aforesaid paragraph even if recommended by the sponsoring authorities.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1972

विषय.—1972-1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 27)

संख्या 154-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 3-4-72 के अंतर्गत अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश करने पर पूर्वोक्त नीति पुस्तक के खंड I के भाग बी के पैरा 45(i) (ए) की शर्तों के अनुसार लाइसेंस के मूल्य की अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि या 1 लाख रुपया इनमें जो भी कम हो उस धनराशि तक जिग, औजार परीक्षण यंत्र और संवेष्टन करने तथा बांधने के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति देने की व्यवस्था है। यह अवलोकन किया गया है कि प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर स्टेपल और स्टेपलिंग मशीनों के आयात के लिए इस व्यवस्था की शर्तों के अनुसार कुछ लाइसेंस जारी किये गये हैं। चूंकि ये मदें देश में ही उत्पन्न की जाती हैं, अतः यह निश्चय किया गया है कि आर०ई०पी० लाइसेंसों के आधार पर पूर्वोक्त पैरा की शर्तों के अनुसार स्टेपल और स्टेपलिंग मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी चाहे प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा भी इसकी सिफारिश क्यों न की गई हो।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972